कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद–बाराबंकी।

पत्रांक —— /जि0का0अधि0/आ0बा0के0/2022–2023/ दिनांक 01 जून मई, 2022

आदेश

निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या सी–427 दिनांक 23.05.2015 में वर्णित व्यवस्था के आलोक में उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, लखनऊ के पत्र संख्या–रा0बा0अ0/146/75/कोविड/2022–23 दिनांक 04.05.2022 के परिप्रेक्ष्य में भीषण गर्मी/लू के प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 01.06.2022 से दिनांक 30.06.2022 तक बाराबंकी जनपद के अन्तर्गत आने वाले सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में स्कूल पूर्व शिक्षा का समय प्रातः 08:00 बजे से 12:00 बजे के स्थान पर प्रातः 07:30 से 10:00 बजे तक निर्धारित किया जाता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियाँ पूर्वान्ह 10:00 बजे के उपरान्त गृह भ्रमण, पोषण ट्रैकर पर फीडिंग तथा केन्द्र के अन्य कार्य सम्पन्न करेंगी।

आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार की आपूर्ति एवं वितरण दिवस, ग्राम स्वास्थ्य,स्वच्छता एवं पोषण दिवस व अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों में उक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी। दिनांक 01 जुलाई, 2022 से आंगनबाड़ी केन्द्रों का संचालन पूर्ववत् नियमानुसार होगा।

(डॉ0 आदर्श सिंह)
जिलाधिकारी,
बाराबंकी।

पृष्ठांकन C-231/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ ।
2. मुख्य विकास अधिकारी, बाराबंकी।
3. जिला कार्यक्रम अधिकारी, बाराबंकी।
4. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी, बाराबंकी को इस निर्देश के साथ कि आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को अपने स्तर से उक्त आदेश के सम्बन्ध में अवगत कराना सुनिश्चित करें।
5. कार्यालय प्रति।

जिलाधिकारी,
बाराबंकी।